



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को 13 हजार रुपए के जुर्माने व कारावास से कराया गया दण्डित।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कुल 13 हजार रुपए के जुर्माने व कारावास से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-444/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त अरुण पुत्र सन्तोष निवासी ग्राम सढा थाना कालिंजर जनपद बांदा को 6000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-195/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त कमलेश उर्फ कमल दाऊ पुत्र साधूराम निवासी कहला थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 6000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना मटौंध पर पंजीकृत एनसीआर नं0-05/24 धारा 323/504 भादावि के अभियुक्त गंगादीन पुत्र कारेलाल उर्फ करिया निवासी भूरागढ़ थाना मटौंध जनपद बांदा को 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।